



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक: 09.03.2023

कार्यालय ज्ञापन सं. 24/2023

पिछले कार्यालय ज्ञापन संख्या 62/2019 दिनांक 16.07.2017 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश दिया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) की धारा 4 के अनुसार बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी अधिनियम, 2013 में टी बोर्ड में काम करने वाली किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है:-

क्र.सं.	नाम, पदनाम व वर्तमान तैनाती स्थान	समिति में स्थान
1.	श्रीमती दीपानिता दत्ता गुप्ता, प्रचार अधिकारी, टी बोर्ड, कोलकाता	पीठासीन अधिकारी
2.	श्री बी. पागलावन, स.नि.चा.वि. टी बोर्ड कोलकाता	सदस्य
3.	श्रीमती तीरना चौधरी, स.सां.अ, टी बोर्ड, कोलकाता	सदस्य

पीठासीन अधिकारी आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, किसी सामाजिक कार्य या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित स्थानीय समिति के सदस्य को सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियम-7 के तहत निर्धारित तरीके से समिति टी बोर्ड के किसी भी महिला कर्मचारी / अधिकारी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के सभी शिकायतकर्ताओं से पूछताछ करेगी।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

समिति किसी भी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर जांच की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(**डॉ. ऋषिकेश राय**)

सचिव (प्र)

वितरण:

1	ऊपर सूचीबद्ध के रूप में सभी समिति के सदस्य	
2	कार्यपालक निदेशक, कूनूर व गुवाहाटी	
3	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता में सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष व अध्यक्ष को छोड़कर)	
4	उ.नि.चा.सं (एन डी), सी.एल. उ.नि.चा.वि (केसीबी), गुवाहाटी	
5	उपाध्यक्ष, सचिव व वि.स.व मु.ले.अ. के नि.सह	
6	आई.टी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7	टीबीइए	
8	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

संदर्भ सं 23 (2)/स्था/2023